

Case name

State of Punjab v. Span Motels Pvt. Ltd (2002)

Case

पंजाब राज्य बनाम स्पैन मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर.

Brief Summary

हमिचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पैन मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अभिनिर्धारित किया। लिमिटेड पारस्थितिकी रूप से नाजुक भूमि को पट्टे पर देकर सार्वजनिक विश्वास के पेटेंट उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने कंपनी को अनुकरणीय हरजाने के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने और कंपनी की कार्रवाइयों से प्रभावित ब्यास नदी क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण कार्यों के लिए पंजाब राज्य को विशेष हरजाने की राशि भेजने का निर्देश दिया।

Main Arguments

मुख्य तर्क मुआवजे की मात्रा के निर्धारण के इर्द-गिर्द घूमते थे और क्या स्पैन मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड पर उसकी गतिविधियों के लिए अनुकरणीय नुकसान लगाया जाना चाहिए जो पारस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्र में प्रदूषण का कारण बनी थी।

Legal Precedents or Statutes Cited

अदालत ने उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए "प्रदूषक भुगतान" संहिता का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि प्रदूषण पैदा करने के लिए जिम्मेदार लोगों को बहाली और मुआवजे की लागत वहन करनी चाहिए।

Quotations from the court

अदालत ने कहा, "मोटल के वकील या किसी और के लिए उन नष्टिकर्षों को उलटने या प्रकृतियां चरित्र या मोटल की गतिविधियों की वैधता या औचित्य पर पुनर्विचार करने का दावा करना अस्वीकार्य था।" अदालत ने यह भी कहा कि अनुकरणीय हरजाना लगाने का उद्देश्य और उद्देश्य दूसरों को किसी भी तरह से प्रदूषण फैलाने से रोकना था।

Present Court's Verdict

हमिचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नमिनलखिति प्रमुख नरिणय लएि-कंपनी को अनुकरणीय हरजाने के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का नरिदेश दिया।-कंपनी के कार्यों से प्रभावति ब्यास नदी क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लएि कंपनी को पंजाब राज्य को वशिष हरजाने की राशि भेजने का आदेश दिया।-कंपनी को पट्टे पर दिए गए मोटल के क्षेत्र में एक चारदीवारी बनाने का नरिदेश दिया।

Conclusion

हमिचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पैन मोटेल्स प्राइवेट लमिटिड को अभनरिधारति किया। सार्वजनकि वशिवास के पेटेट उल्लंघन के लएि जमिमेदार लमिटिड ने कंपनी को अनुकरणीय हरजाने के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने के साथ-साथ कंपनी की कार्रवाइयों से प्रभावति ब्यास नदी क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण कार्यों के लएि पंजाब राज्य को वशिष हरजाने की राशि भेजने का नरिदेश दिया।